न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 47/2011

प्रार्थी–

भंवरलाल पुत्र ताराचन्द जाति जैन
निवासी सिवाना तहसील सिवाना
जिला बाड़मेर (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. गोमती देवी पत्नी ताराचन्द जाति जैन निवासी सिवाना तहसील सिवना जिला बाड़मेर
2. बलवीरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी गांव इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
3. सरपंच, ग्राम पंचायत मोकलसर प0स0 सिवाना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 79 मिसल संख्या 01/2008–09 दिनांक 15.09.2009 जो अप्रार्थी सं. 1 गोमती देवी के नाम ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1से3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 30/07/2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 3 ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत ग्राम मायलावास मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 79 दिनांक 15.09.2009 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 5940 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किया जाना मानते हुए, उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तामीलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया एवं ग्राम पंचायत मायलावास का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए किसी भी नियम की पालना नही की गई है, जिससे आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत की ओर से अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे जिस विवादित भूमि का पट्टा जारी किया गया हैं वह विवादित भूमि निगरानीकर्ता के नाम से जारी पट्टा सं. 81 जो ग्राम पंचायत द्वारा मिसल सं. 11/67–68 मे दिनांक 25.03.1969 को जारी किया गया है, की भूमि पर दुबारा जारी किया गया हैं। प्रार्थी के पट्टाशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 1 का कभी कब्जा–स्वामित्व नही रहा हैं जिस पर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा जारी करने मे अप्रार्थी सं. 3 द्वारा निहित शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी सं. 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से राजनीतिक रंजिश की वजह से जारी किया गया हैं जो निरस्त योग्य है।

4. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी भंवरलाल को अप्रार्थी सं. 1 एवं उसके परिवार के सदस्यों ने अपने पट्टे के आधार पर बेदखल करने एवं जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने की धमकियां दी, तब प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे निष्पादित उक्त पट्टे की नकल मांगी जो नकल मिलने पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं। इससे

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पूर्व प्रार्थी का अप्रार्थीनी सं. 1 के पक्ष मे उक्त पट्टा जारी होने का कोई ज्ञान नही था और न ही इससे पूर्व धमकियां दी थी। प्रार्थी ने अपने पट्टाशुदा भूखण्ड के बाबत सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किये जाने पर मौका कब्जा की रिपोर्ट कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमे अप्रार्थी सं. 1 व 2 का किसी प्रकार का कब्जा होना नहीं पाया गया हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा सं. 79 दिनांक 15.09.2011 खारिज फरमाया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 3 सरपंच ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा प्रार्थी के पट्टाशुदा भूखण्ड का दुबारा पट्टा अप्रार्थीनी सं. 1 के पक्ष मे निष्पादित कर दिया हैं जो अवैध होने से निरस्त योग्य हैं। इस सम्बन्ध मे प्रार्थी के हक मे ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 81 दिनांक 25.03.1969 एवं अप्रार्थीनी सं. 1 मे ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा जारी आलौच्य पट्टा सं. 79 के नाप व पडौस का मिलान किया गया। प्रार्थी के हक मे जारी पट्टा कुल नाप 1200 वर्गफीट का है जबकि अप्रार्थीनी सं. 1 के हक मे ग्राम पंचायत मायलावास द्वारा जारी पट्टा 5940 वर्गफीट का है। इस प्रकार प्रथम तो आलौच्य पट्टा अन्तर्गत भूखण्ड एवं प्रार्थी के भूखण्ड का नाप का मिलान नही हो रहा है, द्वितीय प्रार्थी के पट्टा मे अंकित पडौस व अप्रार्थीनी सं. 1 के पट्टा मे अंकित पडौस भी मेल नही खाते हैं। जहां तक आलौच्य पट्टा अन्तर्गत ग्राम पंचायत की कार्यवाही की सत्यता एवं वैधता का प्रश्न हैं तो अप्रार्थीनी सं. 1 के द्वारा अपने पुराने निवासगृह का आवासीय पट्टा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मे पत्रावली का संधारण किया जाकर शुल्क वसूल कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई है तथा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस भी प्रकाशित किया गया है। इसके पश्चात पंचायत की आम बैठक मे सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसरण मे आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय मे

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रत्येक प्रक्रम की कार्यवाही को आदेशिका में अंकित किया गया है तथा नियमों के परिप्रेक्ष्य मे सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न किया जाना पाया जाता हैं। प्रार्थी का पट्टा विलेख इसी भूखण्ड से सम्बन्धित होने का तथ्य साबित करने मे अधिवक्ता प्रार्थी असफल रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूखण्ड पर अपना हक–अधिकार होना मानता हैं तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे सम्पन्न समस्त कार्यवाही विधि अनुसार विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाना प्रतीत होता है, साथ ही यह निगरानी प्रार्थना पत्र एक सरसरी जांच कार्यवाही हैं जिसमे पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय किया जाना संभव नही हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने के साथ ही आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(हिमाशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner